कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1262 /12-1 : देहरादूनः दिनांकः 29 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय , 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय– पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय **Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) OF 29 August, 2025- reg** बैठक का कार्यवृत्त।**(FP/UK/ROAD /41009/2019)**

संदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं0–**IRO-DDN/FRCM/01/2022**,दिनांक–09.09.2025।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके कम में दिनांक–029.08.2025 को पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय **Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting** की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक–09.09.2025 के एजेण्डा नं0–01 में जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अंर्तगत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव कार्यवृत्त के अंतम प्रस्तर policy issues के बिन्दु सं0–03 में दिये गये निर्देशो की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र संख्या–1771 / 12–1,दिनांक–29.11.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	After detailed discussion. The Regional Office, MOEF &CC directed that the DFO, Uttarkashi and the Executive Engineer, PWD Chinyalisaur shall jointly conduct an assessment of the proposed alignment and submit a detailed report to this office for further consideration.	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में जनपद–उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का प्रयोक्ता विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक–28.10.2025 को किया गया, जिसकी स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट संलग्न की रही है।(संलग्नक–01)
2	It was directed in the meeting that CA scheme shall be prepared in accordance with para 2.3 of the Handbook of the Van	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन(संरक्षण एंव संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के प्रस्तर 2.3 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही

	(Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and the Rules 2023 which also includes "Technical and administrative approvals from the competent authority."	है।(संलग्नक–2)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित सूचना को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(डॉ0 एस0पी0सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 1262 / 12-1/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वन एंव पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालसौड, उत्तरकाशी।

(डॉ0 एस0पी0सुबुद्धि)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक– 177 /12–1, कोटबंगला, दिनांक 29 / 11 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting (FRCM) of 29 August, 2025-reg की बैठक का कार्यवृत्त।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक– 603 / 1जी0–5095 (रा0रा0प्रा0), दिनांक– 16.09.2025 तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक– IRO-DDN/FRCM/01/2022, दिनांक– 09.09.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक– 29.08.2025 को पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय Meeting Notice of Fortnightly Regional Coordination Meeting की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक– 09.09.2025 के एजेण्डा नं0–01 में जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं कार्यवृत्त के अंतिम प्रस्तर Policy Issues के बिन्दु सं0–03 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	एजेण्डा	प्रतिउत्तर / अनुपालन आख्या
01	After detailed discussion. The Regional office, MoEF&CC directed that the DFO, Uttarkashi and the Executive Engineer, PWD Chinyalisaur shall jointly conduct an assessment of the proposed alignment and submit a detailed report to this office for further consideration.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का प्रयोक्ता विभाग तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक– 28.10.2025 को किया गया, जिसकी स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–01)
03	It was directed in the meeting that the CA scheme shall be prepared in accordance with Para 2.3 of the Handbook of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and the Rules 2023 Which also includes "Technical and administrative approvals from the competent authority."	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के प्रस्तर 2.3 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः उक्त सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 177 /12–1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि – वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\DraftMan Letter\Letter.docx

स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्टः–

दिनांक 28.10.2025 को राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी. लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे. वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

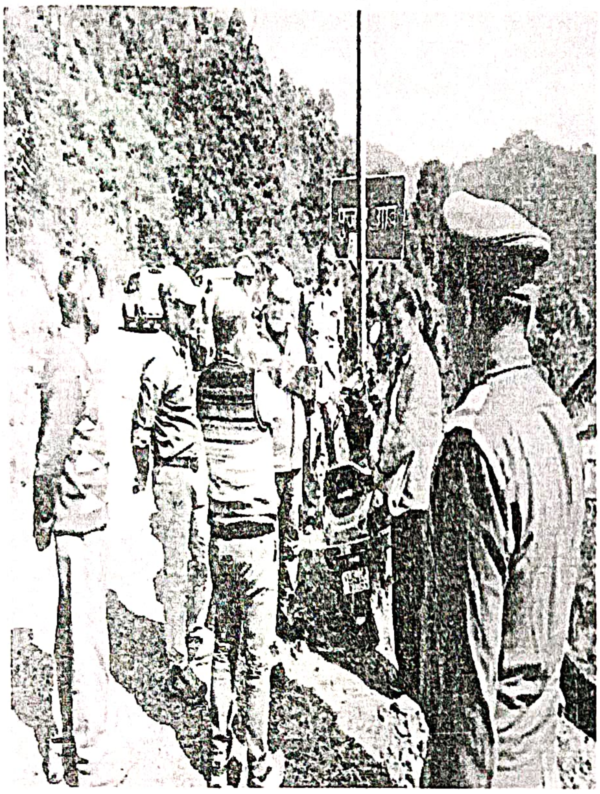

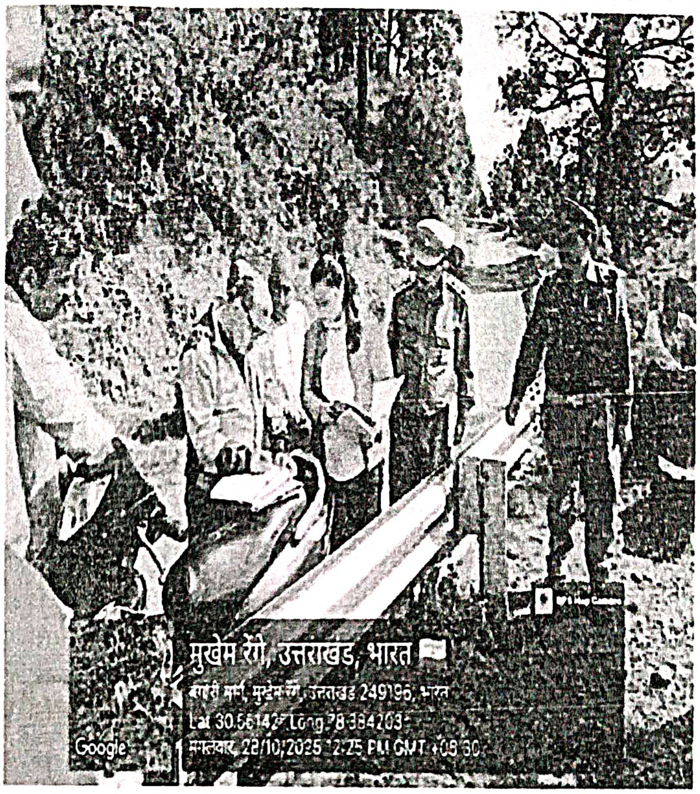

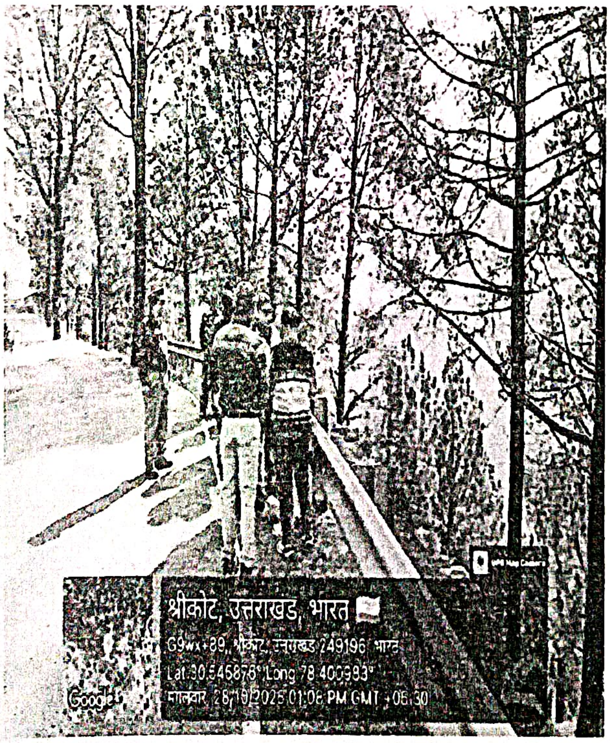

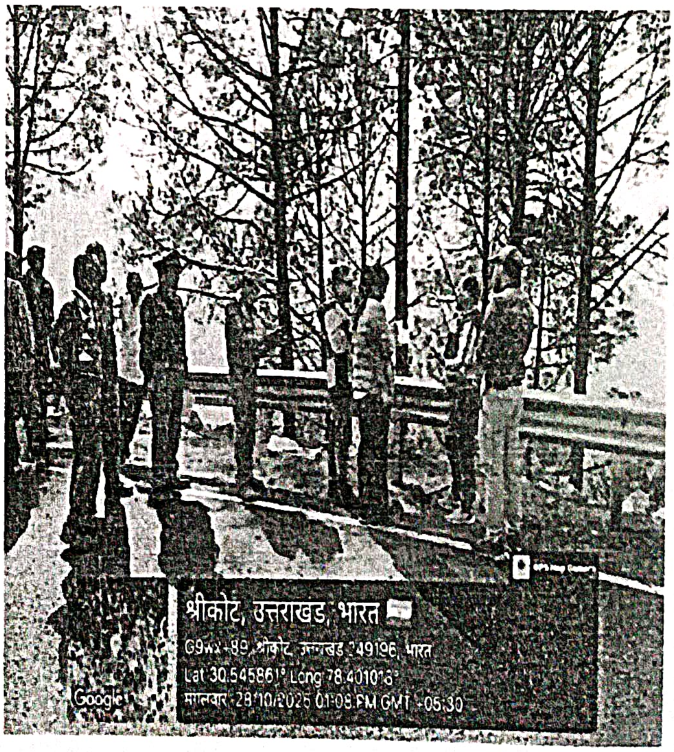

संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी, वन क्षेत्राधिकारी धरासू, सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ व स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रस्तावित मोटर मार्ग की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए प्रयोक्ता विभाग तथा स्थानीय ग्रामीणों से चर्चा करने पर निम्नलिखित बिन्दु प्रकाश में आए :–

1. उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग चिन्यालीसौड–जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 24 से प्रारम्भ होकर ग्राम गोरूण तक जाती है जिसकी कुल लम्बाई 2.50 किमी है।

2. याचक विभाग द्वारा अवगत करााया गया कि पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से गोरूण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर हैं एवं गांव की अंतिम बिन्दु की उर्ध्वाधर दूरी 250 मीटर है तथा उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 8167 / III(2) / 18–15(सामान्य) / 2018 दिनांक 31.12.2018 के बिन्दु संख्या (iv) के अनुसार मात्र वही ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित माने जायेगे जिनकी निकटत्तम मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी 100 मीटर तक है। परन्तु इस मोटर मार्ग के विषय में उर्ध्वाधर दूरी 100 मीटर से अधिक होने के कारण मार्ग निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण है।

3. याचक विभाग द्वारा अवगत करााया गया कि तकनीकी दृष्टि के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण हेतु पहाडी क्षेत्रों में मोटर मार्ग का ढ़ाल 1:24 दिया जाता है। ढ़ाल के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 2.50 किमी. लम्बाई की आवश्यकता होगी जिस कारण मोटर मार्ग निर्माण हेतु उचित स्थान से ही मोटर मार्ग को प्रारम्भ कर समरेखण किया गया है। इसके अतिरिक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु अन्य कोई विकल्प नही है।

4. लाभान्वित ग्राम के ऊपर स्थित मोटर मार्ग के निकटस्थ बिन्दु से गांव तक मोटर मार्ग निर्माण करने हेतु अधिक हेयरपिन बैण्ड आयेंगे, तथा इस स्थान पर पहाडी की ढ़ाल 70° से 80° का आ रहा है जिस कारण मोटर मार्ग निर्माण तकनीकी दृष्टि एवं मार्ग के स्थायित्व के लिए उचित नही होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से 73 परिवार जिनकी जनसंख्या लगभग 370 आबादी लाभान्वित होगी तथा उक्त मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को अपने बगीचे तथा कृषि खेतों में उत्पन्न फलों तथा नगदी फसलों को आसानी से मण्डी तक पहुंचाया जा सकेगा।

भवदीय,

(डी0पी0 बलूनी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

D:\BHARTI Letter\Letter.docx